न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 59/2022
GCMS CASE NO-2022/59

1.मनोहरी पुत्री श्री सुरजाराम जाति मोची निवासी मोची मोहल्ला सेठ रामदयाल राठी स्कूल के पास सूरतगढ।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री राकेश मनचंदा, अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट

:: निर्णय ::

दिनांकः– 18.07.2024

1. अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ द्वारा मि.न. 185/2006 निर्णय दिनांक 09.06.2006 अनवान सरकार बनाम मु0 मनोहरी में बिना विधिवत सूचना के अपीलांट के नाम रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 496/7 में 40.00 बीघा बारानी भूमि के आदेश है0, रकबा प्रमाण पत्र पेश नहीं करने पर खारिज कर दिया गया था जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 09.06.2006 को अपीलांट मनोहरी पुत्री सुरजाराम जाति मोची साकिन सूरतगढ के नाम ख.न. 496/7 में 40.00 बीघा बारानी कृषि भूमि दिनांक 22.8. 1981 को अस्थाई आवंटन पर सम्वत 2038 यानि वर्ष 1981–82 एक वर्ष के लिए की गई थी। जिस पर आवंटी द्वारा काबिज होकर काश्त की जाती रही है और रकम राजकोष में जमा करवाई जाती रही है। भूमि का टीसी नवीनीकरण लगातार होता रहा है अपीलाधीन आदेश जो विधि विरूद्ध व कानून के विपरीत पारित किया गया है। अपीलांटगण को बिना सुने अपीलांटगण के टीसी रकबा को खारिज कर रकबा बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये है। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 09.06.2006 द्वारा अपीलांट की रोही कस्बा सूरतगढ को रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 496/7 में 40.00 बीघा है0 भूमि का आरजी आवंटन अधिकार क्षेत्र के बिना कानून के विपरीत एवं आपीलांट को सुने बिना विधि प्रकिया के विपरीत पत्रावली एवं साक्ष्य की अनदेखी कर पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि प्रकिया के विपरीत व अपीलांट के पिता को बिना सुने व सुनवाई हेतु प्रेषित नोटिस की विधि विरूद्ध तरीके के की गई तामीली को विधि अनुसार मानकर अपीलांट के पिता के पीठ पीछे बिना सुने पारित किया गया अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय है। भूमि आवंटन के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को आवंटन की शर्तो के उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी प्रकार से आरजी काश्त भूमि का आवंटन निरस्त करने का विधिक रूप से कतई अधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्त 1955 संख्या 6(4) के तहत तहसीलदार सलाहकार समिति की सलाह से आवंटन करेगा। शर्त संख्या 19(1)(5) के तहत अभिधृति के पर्यवसन के प्रावधान दिये गये है। नियम 19 ए की शर्तो की अनुपालना नही करने से पट्टा निरस्त करने की शक्तियां जिला कलक्टर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। collector means The collector of the district and includes(a) any officer appointed stage government allover or any the fiction and everse or any the prove collector under act and (b) any officer appointed before or after comman

जिला कलक्टर
(जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Sungara
Date: 2024.08.06 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

of this act or purpose colonization तहसीलदार सूरतगढ का अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है। जैसा कि आरआरडी 1958 पेज 89 प्रकाशित न्याय निर्णय में यह सिद्धांत पारित किया गया है यह कानून का एक प्राथमिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है यह एक प्राथमिक सिद्धांत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे। अपीलाधीन आदेश में अंकित आवंटन हेतु नियम (1) राजस्थान भू-राजस्व (निजी जंगलात विकसित करने हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986 (2) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज केप्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम , 1996 (3) राजस्थान भू-राजस्व (डेयरी कुकट और सूअर पालन हेतु आवंटन) नियम 1958 के तहत लीज अवधि समाप्ति पर लीज अवधि का विस्तार नहीं करवाया है पर ही लागू होते है ना कि अपीलाधीन भूमि बाबत् जो कि पैराफेरी में भूमि आती हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राज्यादेश का गलत अर्थ लगाकर अपीलार्थीगण को विरासतन प्राप्त भूमि के टीसी आवंटन को नियम विरूद्ध निरस्त किया गया है। जो कि गलत एवं नियम विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा धारक शर्ते 1955 के नियम 15 में भूमि को नुकसान व क्षति पहुंचाना नियम 16 में भूमि हस्तांतरण ना करना नियम 17 में राज्य सरकार के अधिकारी को कृषि भूमि मे प्रवेश के अधिकार से वंचित करना की, उक्त शर्तो की उल्लंघना में तथा नियम 19 के तहत टेनेंसी निरस्त की जा सकती है। परंतु अपीलांट जो आवंटी है और भूमि धारण किये हुये है वे उक्त श्रेणी में नही आती है और ना ही उनके द्वारा किसी शर्त की उल्लंघना/अवहेलना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस शर्त की उल्लंघना की गई है अपने निर्णय में यह कतई अंकित नहीं किया है। इस सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा न्याय निर्णय प्रकाशित आरबीजे-2003 पेज संख्या 162 पर प्रकाशित अनवान शैतान सिंह बनाम छित्तर(डीबी) द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि cpc 1980 order 20 rule 46 a and 7 non speaking order Without and concise statement of fact has no legal sancity and does not amount judgment. इस कारण से भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एक छपे छपाये साइक्लास्टाइल एक सामानान्तर फार्म में नाम व भूमि का अंकन करते हुये हस्ताक्षर कर पारित किया गया है। इस प्रकार का पारित आदेश का पारित आदेश एक स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा में नही आता है। यह गलत, नियम व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश मनचंदा उपस्थित आए। रेस्पोडेंट की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

3. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि इन आदेशों का ज्ञान प्रार्थी को दिनांक 28.02.2022 को तहसील से हुआ जब अपीलांट ने खातेदारी हेतु पटवारी से सम्पर्क किया तो ज्ञान होते ही नकल का आवेदन किया दिनांक 09.03.2022 को नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील प्रस्तुत कर रहा है। नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के प्रार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

4. राजपैरोकार ने कथन किया कि अपीलांट ने मातहत न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 09.06.2006 के विरूद्ध दिनांक 06.04.2022 को 16 साल बाद बाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश की गईहै, जो पूर्णतया मियाद बाहर है।अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद मे विलम्ब का कोई ठोस कारण स्पष्ट नही किया है।संतोषजनक कारण के अभाव मे अपील मियाद बाहर होने के कारण निरस्त योग्य है।

5. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण बताया है वह संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु

रिक्त जिला कलक्टर
ढ (जिला-श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Bongalia
Date: 2024.08.06 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

6. गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांटस द्वारा अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 09.06.2006 द्वारा अपीलांट की रोही करबा सूरतगढ को रोही करबा सूरतगढ के ख.न. 496/7 में 40.00 बीघा है0 भूमि का आरजी आवंटन अधिकार क्षेत्र के बिना कानून के विपरीत एवं आपीलांट को सुने बिना विधि प्रकिया के विपरीत पत्रावली एवं साक्ष्य की अनदेखी कर पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि प्रक्रिया के विपरीत व अपीलांट के पिता को बिना सुने व सुनवाई हेतु प्रेषित नोटिस की विधि विरूद्ध तरीके के की गई तामीली को विधि अनुसार मानकर अपीलांट के पिता के पीठ पीछे बिना सुने पारित किया गया अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय है। भूमि आवंटन के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को आवंटन की शर्तो के उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी प्रकार से आरजी काश्त भूमि का आवंटन निरस्त करने का विधिक रूप से कतई अधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा शर्त 1955 संख्या 6(4) के तहत तहसीलदार सलाहकार समिति की सलाह से आवंटन करेगा। शर्त संख्या 19(1)(5) के तहत अभिधृति के पर्यवसन के प्रावधान दिये गये है। नियम 19 ए की शर्तो की अनुपालना नही करने से पट्टा निरस्त करने की शक्तियां जिला कलक्टर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। collector means The collector of the district and includes(a) any officer appointed stage government allover or any the fiction and everse or any the prove collector under act and
(b) any officer appointed before or after comman of this act or purpose colonization तहसीलदार सूरतगढ का अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है। जैसा कि आरआरडी 1958 पेज 89 प्रकाशित न्याय निर्णय में यह सिद्धांत पारित किया गया है यह कानून का एक प्राथमिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है यह एक प्राथमिक सिद्धांत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर मातहत न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता द्वारा पूर्व में न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.03.2022 की चित्रप्रति पेश की है। राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टा धारक शर्ते 1955 के नियम 15 में भूमि को नुकसान व क्षति पहुंचाना नियम 16 में भूमि हस्तांतरण ना करना नियम 17 में राज्य सरकार के अधिकारी को कृषि भूमि मे प्रवेश के अधिकार से वंचित करना की, उक्त शर्तो की उल्लंघना में तथा नियम 19 के तहत टेनेंसी निरस्त की जा सकती है। परंतु अपीलांट जो आवंटी है और भूमि धारण किये हुये है वे उक्त श्रेणी में नही आती है और ना ही उनके द्वारा किसी शर्त की उल्लंघना/अवहेलना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस शर्त की उल्लंघना की गई है अपने निर्णय में यह कतई अंकित नहीं किया है। इस सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा न्याय निर्णय प्रकाशित आरबीजे–2003 पेज संख्या 162 पर प्रकाशित अनवान शैतान सिंह बनाम छित्तर(डीबी) द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि cpc 1980 order 20 rule 46 a and 7 non speaking order Without and concise statement of fact has no legal sancity and does not amount judgment. इस कारण से भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एक छपे छपाये साइक्लास्टाइल एक सामानान्तर फार्म में नाम व भूमि का अंकन करते हुये हस्ताक्षर कर पारित किया गया है। इस प्रकार का पारित आदेश का पारित आदेश एक स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा में नही आता है। यह गलत, नियम व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

7. रेस्पोडेंट राजपैरोकार ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि न्यायिक दृष्टांत आर आरडी 1992 पेज 431 के अनुसार A Lesse of Temporary cultivation automaticall terminates at the end of lease period-an heir to a decasesdalloteecan not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh

अतिरिक्त जिला व सत्र ... सूरतगढ (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

allotment for himself on merits.न्यायिक दृष्टांत आर आरटी 2018 पेज 364 के अनुसार A Lease for Temporary cultivation come on an end automatically on expiry of the term of lease. अर्थात टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही होता है, एक साल के पश्चात समयावधि समाप्त होते ही टीसी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि ना तो अपीलांट ने कभी अपना टीसी आवंटन पुख्ता करवाने हेतु कभी प्रार्थना पत्र पेश किया तथा ना हीं रकबा पुख्ता आवंटन हुआ। अपीलांट महज टीसी आवंटी है। न्यायिक दृष्टांत आरआरजे 1999 पेज 214 अनुसार टीसी आवंटी को रकबे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगें। अपीलांट्स ने जैर अपील आदेश एक तरफा आदेश बताकर हस्तगत अपील में अनुतोष चाहा है। जबकि अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय में ही एकतरफा आदेश निरस्त करने का अनुतोष ले सकते थे। अपीलांट्स ऐसे आदेशों के विरूद्व अपीलपेशकरने के अधिकारी नहीं है। अपीलांट का इस रकबा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही अपीलांट्स ने कब्जा काश्त संबंधी दस्तावेजात पेश किये है।टीसी आवंटन नियम 1955 के नियम 4 (ड) के अनुसार टीसी आवंटन निरस्त करने बाबत जिला कलक्टर की शक्तियां तहसीलदार को प्रदान की गई है तथा जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा तहसीसलदार सूरतगढ़ को अधिकृत भी किया गयाहैं। आवंटी को टीसी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त रकबा टीसी आवंटन नहीं किया गया था तथा रकबा जमाबंदियो में शुरू से ही अराजीराज था एव लगातार कब्जा काश्त के अभाव में रकबा निरस्त योग्य ही था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्तियुक्त , विधिसंगत एवं नियमानुसार ही पारित किया गया है जो यथावत रखने योग्य है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखने के आदेश फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया एवं हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के ख.न. 496/7 की 10.120 है0 भूमि को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टीसी) पर आवंटन हुई थी। मूल आवंटी को टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया गया था। उक्त टीसी आवंटन को पुख्ता करवाने हेतु अपीलांट द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा ना ही अपीलांट का टीसी आवंटन पुख्ता हुआ है। अपीलांट का टीसी खारिज होने के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे उसका कब्जा काश्त साबित हो, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलांट का कब्जा काश्त सिद्ध नही हो रहा है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन की शर्तो की अक्षरक्षः पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय प्रकरण संख्या 185/2006 अनवान सरकार बनाम मु0 मनोहरी पुत्री सुरजाराम जाति मोची साकिन सूरतगढ में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2006 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 18.07.2024 को निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner